ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

169, चितवन एस्टेट, सैक्टर-गामा, ग्रैटर नोएडा सिटी
जिला- गौतम बुद्ध नगर उ.प्र.

पत्रांक- ग्रेनो/बिल्डर्स/2013/ 150
दिनांक 07 जून, 2013

कार्यालय-आदेश

ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के मास्टर प्लान-2021 से प्रभावित समस्त परिसम्पत्तियों के आवंटियों के लिए शून्यकाल (Zero Period) घोषित किये जाने के सम्बन्ध में ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 92वीं बोर्ड बैठक के अनुपूरक मद सं0 13 में अनुमोदित प्रस्ताव के क्रम में प्राधिकरण के कार्यालय आदेश सं0 मुकाअ/ का0आ0/2012/66 दिनांक 24 अगस्त 2012 द्वारा ग्राम शाहबेरी एवं पतवारी ग्राम की भूमि से प्रभावित भूखण्डों हेतु क्रमशः दिनांक 12.05.2011 व 19.07.2011 से दिनांक 24.08.2012 तक एवं अन्य ग्रामों से प्रभावित भूखण्डों के आवंटियों हेतु मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.10.2011 से 24.08.2012 तक की अवधि को शून्यकाल घोषित किया गया।

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 95वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.05.2013 के अनुपूरक मद संख्या-95/7 में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के मास्टरप्लान-2021 से प्रभावित समस्त परिसम्पत्तियों की आगामी किश्तों की देय तिथियाँ पुनर्निधारित किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया -

1. शून्यकाल की अवधि के सम्बन्ध में प्राधिकरण के कार्यालय आदेश सं0 मुकाअ/का0आ0/ 2012/66 दिनांक 24 अगस्त 2012 एवं आदेश सं0 ग्रे.नौ./बिल्डर्स/2012/219 दिनांक 04 सितम्बर 2012 द्वारा की गई व्यवस्था यथावत रहेगी।
2. शून्यकाल की अवधि समाप्त हो जाने की तिथि 24.08.2012 के पश्चात आगामी देय किश्तों के भुगतान की प्रत्येक देय तिथियों को आगामी 6-6 माह तक के लिए बढा दिया जाये।
3. जिन आवंटियों द्वारा शून्यकाल से पूर्व एवं शून्यकाल के मध्य में देय किश्तों का भुगतान शून्यकाल की अंतिम तिथि 24.08.2012 से 60 दिन के ग्रेस पीरियड अर्थात् दिनांक 23.10.2012 तक नहीं किया गया है, उनको दिनांक 23.10.2012 तक आगणित धनराशि पर इस तिथि के पश्चात नियमानुसार दण्डब्याज का भुगतान उस तिथि तक करना होगा, जिस तिथि को धनराशि जमा कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त जिन किश्तों की देय तिथियों को पुनर्निर्धारित किया जायेगा, उनकी पुनर्निर्धारित तिथियों तक भुगतान न करने पर भी संबंधित योजना के नियमानुसार दण्डब्याज देय होगा।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अतः तदानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

(रमा रमण)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा ।
2. विशेष कार्याधिकारी (वाई.वाई.) ग्रेटर नौएडा।
3. महाप्रबंधक (वित्त/नियोजन/परियोजना/अर्बन सर्विसेज) ग्रेटर नौएडा।
4. समस्त वरिष्ठ प्रबंधक/प्रबंधक (आवासीय/बिल्डर्स/उद्योग/आई0टी0/वाणिज्यिक/संस्थागत) ग्रेटर नौएडा
5. गार्ड फाईल।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी